

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर

पीठासीन अधिकारी- सुश्री गरिमा लाटा (आर.ए.एस)

दावा संख्या 11/2010 संलग्न दावा संख्या 384/12

गिरवर सिंह पुत्र दुल सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम गुंगारा तहसील व जिला सीकर

-वादी-

बनाम

1. श्रवणसिंह
2. झाबरसिंह
3. महावीर सिंह पुत्रगण दुलसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण गुंगारा तह0 व जिला सीकर
4. श्रीमती मंजू कंवर पुत्र दुलसिंह पत्नी श्री उगमसिंह जाति राजपूत निवासी गोपालपुरा जिला नागौर
5. किशोर सिंह पुत्र श्रीमलसिंह जाति राजपूत निवासी गुंगारा तह0 व जिला सीकर (फौत)
 - 5/1. भंवरी कंवर पत्नी सुमेर सिंह
 - 5/2. प्रेम कंवर पत्नी आशुसिंह (फौत)
 - 5/2/1 अमराव सिंह पुत्र प्रेमकंवर
 - 5/2/2. बलबीर सिंह पुत्र प्रेमकंवर
 - 5/2/3. पिकी कंवर पुत्री प्रेमकंवर समस्त जाति राजपूत निवासीगण राजलिया जिला नागौर
 - 5/3. धापू कंवर पत्नी देवी सिंह
 - 5/4. ओम कंवर पत्नी मनोहर सिंह
 - 5/5. सोनू कंवर पत्नी रामसिंह
 - 5/6. कौशल्या कंवर पत्नी पूर्णसिंह समस्त जाति राजपूत निवासी अभयपुरा तह0 दांतारामगढ जिला सीकर
6. मान कंवर बेवा शोभसिंह जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर
7. भंवर सिंह दत्तक पुत्र शोभसिंह (फौत)
 - 7/1. उछव कंवर पत्नी भंवरसिंह
 - 7/2. सुल्तान सिंह पुत्र भंवरसिंह
 - 7/3. उम्मेद सिंह पुत्र भंवरसिंह
 - 7/4. संजू कंवर पुत्री भंवरसिंह

- 7/5. निशानगर उम 10 वर्ष पुत्री भंडारसिंह नामालिग जरिये संरक्षिका माता उछवकंवर समस्त जाति राजपूत निवासीगण गुंगारा तहसील व जिला सीकर
8. गोरूसिंह पुत्र रडमल सिंह जाति जाट निवासी ग्राम शिवसिंहपुरा तह0 व जिला सीकर
9. उप पंजियक सीकर
10. तहसीलदार सीकर
11. मगनकंवर बेवा दुल सिंह जाति राजपूत निवासी गुंगारा तहसील व जिला सीकर
12. भूमिधारक तहसीलदार सीकर

– प्रतिवादीगण –

दावा बाबत उद्घोषणा, बंटवारा एवं दुरुस्ती इन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88,188,53

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 136 भू0राजस्व अधिनियम

तहसीलदार सीकर के विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ/ 2022/6112 दिनांक 14.11.2022 के अनुसार वकील उभयपक्ष की सहमति से अंतिम डिक्री दी जाती है। विभाजन प्रस्ताव डिक्री का भाग रहेगा। तहसीलदार इसी अनुसार अमल दरामद व तरमीम करें।


(गारिमा लोटा)


उपखण्ड अधिकारी सीकर

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	5.00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	36.00
4. रुपये पर प्लीडर की फीस	36.00	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामिल	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़	41.00	जोड़	36.00

आज तारीख

को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई


उपखण्ड अधिकारी सीकर